रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2017

सं. 02/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 45(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/94-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था में और आगे संशोधन करता है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में,—

(i) पांचवें परंतुक में, ''बशर्ते और भी कि लोकसाड़ और नाकरकाटा को भू-सीमा शुल्क केन्द्र बनाया गया हो'' शब्दों, के स्थान पर ''बशर्ते कि नागरकाटा को एक भू-सीमा शुल्क केन्द्र बनाया गया हो'' शब्दों, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) छठे परंतुक में, ''लोकसाड़, नागरकाटा और कुलकुली'', शब्दों के स्थान पर ''नागरकाटा, कुलकुली'', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) सारणी में, भूटान की सीमांत भूमि संबंधित क्रम सं. 3 के समक्ष,—

(i) कॉलम (3) में, मद (1) के समक्ष तथा कॉलम (4) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,—

"(क) रांगिया- तमुलपुर मोटरेबल रोड जो कि दारंग से समद्रुप-झांखड़ (भूटान में) से असम के कामरूप जिले तक आती है;

(ख) असम के बोकाजुली को भूटान के मोटंगा इंडस्ट्रियल स्ट्रीट को जोड़ने वाला मार्ग।"

(ii) कॉलम (3) में, मद (8) के पश्चात और कॉलम (3) और (4) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :—

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(9) भारत में असम के बक्सा जिले के कमरदिशा (रंगपाणि)	"भारत के कमरदिशा को भूटान के नंगलम से जोड़ने वाली सड़क।
		(10) भारत में पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के बीरपाड़ा"	(क) भारत के बीरपाड़ा को भूटान के गोंगटू से जोड़ने वाली सड़क जो कि डालमोर चाय बागान (भारत) और मकरापाड़ा चाय बागान (भारत) से होकर जाती है। (ख) भारत के बीरपाड़ा को भूटान के पुगली से जोड़ने वाली सड़क जो कि डालमोर चाय बागान (भारत) और लंकापाड़ा चाय बागान (भारत) से होकर जाती है"

[फा. सं. 554/11/2012-एलसी]

टेम्सुनारो जमीर, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 63/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 146/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 04 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 4035(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2017

No. 02/2017-CUSTOMS (N.T)

S.O. 45(E).—c Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 63/94-CUSTOMS (N.T), dated the

21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely:—

In the said notification,—

(a) In the opening paragraph,—

(i) in the fifth proviso, for the words, "Provided also that Loksan and Nagarkata are appointed as Land Customs Stations", the words, "Provided also that Nagarkata is appointed as Land Customs Station" shall be substituted;

(ii) in the sixth proviso, for the words, "Loksan, Nagarkata and Kulkuli", the words, "Nagarkata and Kulkuli" shall be substituted;

(b) in the Table, against serial number 3, relating to the land frontier of Bhutan,—

(i) against item (1), in column (3), for the entries relating thereto in column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

"(a) Rangia – Tamulpur motorable road from Darranga to Samdrup –Jhankar (in Bhutan) in the District of Kamrup in Assam.

(b) Road connecting Bokajuli in Assam to Motanga Industrial Estate in Bhutan."

(ii) after item (8) in column 3, and the corresponding entries relating thereto in columns (3) and (4) the following shall respectively be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(9) Kamardwisa (Rangapani), in the Baksa District of Assam in India. (10) Birpara, in the Alipurduar District of West Bengal in India."	"Road connecting Kamardwisa in India to Nganglam in Bhutan. (a) Road connecting Birpara in India to Gomtu in Bhutan through Dalmore Tea Garden (India) and Makrapara Tea Garden (India). (b) Road connecting Birpara in India to Pugli in Bhutan through Dalmore Tea Garden (India) and Lankapara Tea Garden (India)."

[F. No. 554/11/2012-LC]

TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number 63/94-CUSTOMS (N.T), dated the 21st November, 1994, published *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and last amended *vide* notification number 146/2016-Customs (N.T), dated the 14th December 2016, published *vide* number S.O. 4035(E), dated the 14th December, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.01.06 22:39:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.